सं0सं0–6 / एन0–08–03 / 2016–.......

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
(संशोधित आदेश)

पूर्व निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक–418(6), दिनांक–12.05.2016 की कंडिका–3 के अन्तर्गत इस सीमा तक संशोधन किया जाता है कि इसे संशोधनोंपरान्त इस प्रकार पढ़ी जाय –

"अतः निबंधन विभाग द्वारा प्राप्त उक्त परामर्श के आलोक में निबंधन अधिनियम के तहत निजी क्षेत्र में नर्सिंग विद्यालयों / महाविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण भवन एवं छात्रावास भवन का 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए आधारभूत संरचना के रूप में कराये जाने वाले किरायानामा को निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17 (d) के आलोक में प्रस्तावक संस्थान / ट्रस्ट के नाम से निबंधित किया जाना अनिवार्य घोषित किया जाता है, तथा निदेशित किया जाता है कि नर्सिंग स्कूल / कॉलेज का नाम भी निबंधित अभिलेख में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रशिक्षण भवन एवं छात्रावास भवन हेतु 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए गैर निबंधित किरायानामा को वैध नहीं माना जाय"।

2– पूर्व निर्गत आदेश के अन्तर्गत कंडिका–4 का संयोजन करते हुए स्थायी निर्माण हेतु भूमि के निबंधन के संबंध में इस प्रकार स्थिति स्पष्ट की जाती है– भारतीय उपचर्या परिषद के मापदंड के अनुसार नर्सिंग विद्यालयों / महाविद्यालयों के प्रशिक्षण भवन / छात्रावास भवन अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक ही किराये के भवन में संचालित किया जा सकता है। इस अवधि के पश्चात संस्थान का अपना प्रशिक्षण / छात्रावास भवन होना अनिवार्य है। अतः आदेश दिया जाता है कि नर्सिंग विद्यालयों / महाविद्यालयों हेतु प्रस्ताव में भविष्यगत स्थायी निर्माण हेतु प्रस्तावक ट्रस्ट एवं नर्सिंग स्कूल / कॉलेज के नाम से भूमि की उपलब्धता संबंधी निबंधित अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय।

3– उक्त आदेश के शेष अंश पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।

4– उपरोक्त आदेश में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(शेखर चन्द्र वर्मा)
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6 / एन0–08–03 / 2016 – 543(6) पटना दिनांक 11/07/2016

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, निबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वास्थ्य) के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशित किया जाए।

11.7.16
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।